पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 323/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.10.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 18.10.2024 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक- 15.10.2024 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत गोली मारकर जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त रोशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह पुत्र इन्द्रसेन सिंह मूल निवासी ग्राम गहजी थाना अहिरौला आजमगढ़ हाल पता आरटीओ आफिस के पास थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।

थाना-कोतवालीः दिनांक 15.10.2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र में गोली मारकर जानलेवा हमला कारित करने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार ,अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

पूर्व की घटना:-

दिनांक 15.10.2024 को वादी संजय यादव पुत्र सजनू यादव निवासी हर्रा की चुंगी थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया गया आज सांयकाल समय लगभग 05.00 बजे वादी के भाई करन यादव जो अपने साथियों निखिल चौहान पुत्र अनिल चौहान निवासी शेखपुरा कोतवाली आजमगढ़ व हर्ष चौरसिया पुत्र अनिल चौरसिया निवासी हर्रा की चुंगी कोतवाली आजमगढ़ के साथ अपने बुलेट बाईक से बद्दोपुर की तरफ जा रहा था जहां रास्ते मे उसे अमन सिंह पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी दौलतपुर आजमगढ़ व रोशन सिंह पुत्र अज्ञात निवासी R.T.O आफिस के पास आजमगढ़ व एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के साथ अपने मो0न0 -63XXXXXXXX से करन यादव के मो0नं0 73XXXXXXXX पर फोन करके बद्दोपुर बुलाया , जहां जाते समय रास्ते मे ही अमन सिंह ने अपने साथियों के साथ करन की गाडी रोक कर करन के सीने मे गोली मार दी जिससे करन घायल होकर नीचे गिर पडा । जिसे उसके दोस्तों की सहायता से इलाज हेतु बेदांता अस्पताल लक्षिरामपुर लाया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 582/24 धारा 109/3(5) बीएनएस रोशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह पुत्र इन्द्रसेन सिंह मूल निवासी ग्राम गहजी थाना अहिरौला आजमगढ़ हाल पता आरटीओ आफिस के पास थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया।

➡ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की 04 टीमें गठित की गयी थी तथा थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया था, जिसके क्रम में-

पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक– 18/10/2024 को समय लगभग 03.00 प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रोशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह पुत्र इन्द्रसेन सिंह मूल निवासी ग्राम गहजी थाना अहिरौला आजमगढ़ हाल पता आरटीओ आफिस के पास थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष हरैया के रास्ते आजमगढ़ शहर की तरफ आ रहा है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर हरैया पुलिया पहुँचकर घेराबन्दी की गयी अभियुक्त द्वारा स्वयं को पुलिस से घिरता हुआ देख पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय आजमगढ़ भेजा गया है।

➡ **घायल बदमाश की पहचान रोशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह पुत्र इन्द्रसेन सिंह मूल निवासी ग्राम गहजी थाना अहिरौला आजमगढ़ हाल पता आरटीओ आफिस के पास थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष** के रूप में की गयी।

➡ अभियुक्त के **कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 मिस फायर कारतूस .315 बोर बरामद** किया गया। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 109 बीएनएस व 3 /25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है।

➡गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय **पर मु0अ0सं0 584/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधिनियम** अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त ने बताया कि दिनांक- 15.10.24 को मैं, अमन सिंह व अंकित यादव एक मोटर साइकिल पर व दो मोटर साइकिल पर अन्य लड़के गये थे, जिसे अमन सिंह ने बुलाया था । मेरा और अमन का करन के घर आना जाना था। कुछ दिनो पहले करन को अमन के कुछ साथियों ने मारपीट दिया था, उसी का बदला लेने हमलोग गये थे। इसी तमंचा से मैने व अपने अपने असलहो से मेरे साथी अमन सिंह व उसके अन्य साथियो ने करन यादव व उसके साथियों के ऊपर जान से मारने के लिये फायर किये थे। किन्तु करन यादव बच गया था। फिर हमलोग वहां से भाग गये।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 584/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-रोशन सिंह उर्फ हिमांशु सिंह पुत्र इन्द्रसेन सिंह मूल निवासी ग्राम गहजी थाना अहिरौला आजमगढ़ हाल पता आरटीओ आफिस के पास थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

बरामदगी-

1- 01 अदद तमंचा,01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 मिस फायर कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 582/24 धारा 109/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

2-मु0अ0सं0 207/19 धारा 356,379,411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

3- मु0अ0सं0 211/19 धारा 307 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

4- मु0अ0सं0 269/22/ धारा 3 /25 शस्त्र अधि. थाना सिधारी आजमगढ़

5- मु0अ0सं0 584/24 धारा 109 बीएनएस व 3/ 25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़

6-मु0अ0सं0 135/18 धारा 120बी,307,411,419,420,467,468,471 भादवि

7-मु0अ0सं0 136/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

8-मु0अ0सं0 142/23 धारा 504,506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

9-मु0अ0सं0 209/19 धारा 41/41/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

10-मु0अ0सं0 271/17 धारा 3 /25 शस्त्र अधि. थाना सिधारी आजमगढ़

11-मु0अ0सं0 210/19 धारा 3/25/27 शस्त्र अधि. थाना सिधारी आजमगढ़

12- मु0अ0सं0 24/19 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना मसौली जनपद बाराबंकी

13-मु0अ0सं0 179/18 धारा 394/411 भादवि थाना मसौली जनपद बाराबंकी

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

2. उ0नि0 राज नरायन पाण्डेय चौकी प्रभारी बदरका थाना कोतवाली मय हमराह जनपद आजमगढ़

3. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल चौकी प्रभारी पहाड़पुर मय हमराह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

4. उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर मय हमराह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़